<u>शीर्ष प्राथमिकता</u>

संख्या—एन0एस0 01/9—आ—1—2001—16एन/2000

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आवास अनुभाग—4 लखनऊ : दिनाँक : 13 फरवरी, 2001

विषय : नजूल भूमि के फ्रोहोल्ड हेतु लम्बित आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित में नजूल भूमि के प्रबन्ध एंव निस्तारण तथा राज्य के आर्थिक, संसाधन में वृद्धि किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या—2201/9—आ—4—2000, दिनांक—30 जून, 2000 द्वारा जनपदवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए फ्रीहोल्ड की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये थे। प्रश्नगत मामले में समीक्षा करने पर शासन के संज्ञान में यह आया है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष डिमाण्ड नोट जारी किये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी है।

2. आप सहमत है कि नजूल फ्रीहोल्ड हेतु मांगपत्र निर्गत करने के उपरानत आवेदकों को शेष फ्रीहोल्ड धनराशि जमा करने हेतु 90 दिन की समयावधि दी जाती है। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि मांग पत्र जितनी शीघ्रता से जारी होंगे, उसी अनुरूप राजकोष में फ्रीहोल्ड राशि की प्राप्ति होगी। इसमें होने वाले विलम्ब के फलस्वरूप राज्य की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

3. आपके संज्ञान में यह भी लाया जा चुका है कि राजस्व प्राप्ति हेतु नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड किये जाने के कार्यक्रम को शासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में महत्व दिया गया है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की मण्डलवार समीक्षा बैठकों में भी फ्रीहोल्ड से प्राप्त आय की समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर फ्रीहोल्ड आवेदन पत्रों का त्वरित गति से निस्तारण न किये जाने के कारण निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष फ्रीहोल्ड से राजस्व की आय की प्राप्ति नितान्त अंसतोषजनक है। शासन द्वारा फ्रीहोल्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से अधिकतम संख्या में आवेदन पत्रों को लम्बित रखे जाने को गम्भीरता से लिया गया हैं। और इस चिन्ताजनक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही प्रार्थना पत्रों के निस्तारणार्थ समय—समय पर उपयुक्त दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन भी अपको भेजे गये हैं।

4. अतः फ्रीहोल्ड हेतु निर्धारित लक्ष्य की शतप्रतिशत प्राप्ति हेतु अपने जनपद के लम्बित सभी आवेदन पत्रों का शीर्ष प्राथमिता के आधार निस्तारण समयबद्ध रूप से विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चित करें तथा उक्त आदेश के अनुपालन/प्रगति की सूचना स्वयं के हस्ताक्षर से प्रतिमाह नियमित रूप से शासन को विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध करायें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड नीति

के क्रियान्वयन में आप द्वारा दिये गये योगदान तथा उल्लेखनीय उपलब्धि का अंकन आपकी वार्षिक चरित्र पंजिका में विशेष रूप से किया जायेगा।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव